may come in. That makes our position clear. Every week, I come forward and give notice of the business a week in advance. We give notice of these Bills a week in advance. Our difficulty is we give notice of certain Bills, but only those Bills are introduced here and sometimes I cannot vouch for the priority also. It must be left to us, to the Government, to arrange this business. It is not private business. (*Interruption*).

Mr. Speaker: Order, order. Shri Yadav wanted to know whether the discussion about Planning is coming up this week or not.

Shri Satya Narayan Sinha: It cannot come up.

श्री रामसेवक यादव : मैं चाहता हूं कि इस सेशन में आ जाय । इस हफ्ते की बात नहीं है । कम से कम यहां पर मंत्री महोदय वायदा तो करें ।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं कोशिश करूंगा कि इसी सेशन में आ जाय । इस से ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता ।

Regarding the matter raised by Shrimati Renu Chakravartty, this matter was discussed by the Business Advisory Committee and it was made clear, and she had also agreed, that the Minister in charge of Food and Agriculture has gone out and he is returning by the end of this month. We want that he should be here when the discussion takes place. So far as the next week is concerned, I am afraid he is not arriving before that nor will it be possible for us to find time for that work.

Shri Hari Vishnu Kamath: He has not said anything about the Anti-Quorum Bill.

Mr. Speaker: Therefore, the hon. Member is free. He has thrown a challenge that if the Bill is not brought before the session expires, he will not be bound by the unconstitutional convention, as he called it. He can execute that.

Shri Hari Vishnu Kamath: I meant to say that if it is not brought by the middle of the session, by the first week of December, we would not feel ourselves bound by this unconstitutional convention. The warning has again been issued to the Government.

Shri D. C. Sharma: There was one item in the private members' business which was put down as No-Day-Yet-Named Motions. I find there has been no mention of it either this week or in the business for next week. May I know when they will be taken up?

Mr. Speaker: The committee must be considering that and we will be putting them up as and when they are recommended by the committee.

12·22 hrs.

EAST PUNJAB AYURVEDIC AND UNANI PRACTITIONERS (DELHI AMENDMENT) BILL—*Contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Dr. D. S. Raju on the 21st November, 1963, namely:

> "That the Bill further to amend the East Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners Act, 1949 as in force in the Union territory of Delhi, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Shri Yashpal Singh may continue his speech.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, आज यूनानी और आयुर्वेदिक के साथ सरकार द्वारा जैसा सलूक किया जा रहा है उस के रहते आयुर्वेदिक १०० साल में भी पनप नहीं सकता । मुझे दुःख के साथ यह चीज़ कहनी पड़ती है कि उनके साथ हरिजनों के समान उपेक्षित व्यवहार हो रहा है, हरिजनों से भी बदतर व्यवहार

[श्री यशपाल सिंह]

हो रहा है, वैसे जहां तक मेरा सम्बन्ध है मेरे नजदीक कोई हरिजन है ही नहीं, सब मानव एक समान हैं और मैं मानव मानव में कोई भेद नहीं मानता । इसलिए इतनी पुरानी साइंस के साथ जिसके कि साथ लाखों साल की हिस्ट्री जुड़ी हुई है उस आयुर्वेद के साथ सौतेली मां का जैसा व्यवहार करना इस सरकार के लिए शोभा नहीं देता है । मैंने कल भी माननीय राजू साहब से निवेदन किया था कि जो बात आपको नहीं आती है उसमें दूसरों से सलाह ले लें । दूसरों से सलाह ले लेने से यह होगा कि आप को फ़ायदा होगा और आप उनकी नसीहत से कुछ लाभ उठा सकेंगे । कुछ आप लोग कम जानते हैं और सरकार के लोगों को कुछ कम पता है इसलिए बाहर के लोगों को बुलाना पड़ता है । इन लोगों की नाक़ाबलियत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जैसे अहम पोर्टफ़ोलियो के लिए जिसके कि ऊपर सारे देश का दारोमदार है, बाहर का आदमी बुलाना पड़ा । गांधी टोपी वालों में कोई आदमी इतना क़ाबिल नहीं समझा गया कि इस एजुकेशन का पोर्टफ़ोलियो सम्हाल सके . . . .

अध्यक्ष महोदय : पगड़ी वालों में भी तो नहीं समझा गया ।

श्री यशपाल सिंह : हम लोग रन में नहीं हैं । वह तो बाद की बात है ।

राजू साहब से मैंने निवेदन किया कि जिस काम को आप जानते नहीं हैं उसमें दूसरे आदमियों से सलाह ले लिया करें । इस से बड़ा फायदा होगा । यह जो ६ महीने की मियाद रक्खी गई है आयुर्वेद या यूनानी के लिए, यह बहुत कम है । आयुर्वेद और यूनानी की जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उन्हें ६ महीने में तो इत्तिला भी नहीं हो सकेगी । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस तारीख़ को कम से कम ३ साल के लिए बढ़ाया जाय जिससे सब आयुर्वेदिक और यूनानी प्रैक्टीशनर्स इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें । तीन साल के लिए इस तारीख़ को बढ़ाया जाय ।

यह सरकार की ड्यूटी है सरकार का फर्ज है कि उस के अफ़सरान जगह जगह पहुंचा करें और उन लोगों की दरख़्वास्तें लें और उनका रजिस्ट्रेशन करें । रजिस्ट्रेशन की दरख़्वास्तें जो भेजते हैं साल भर तक तो उनका ऐकनौलैजमेंट भी नहीं होता ।

12·25 hrs.

[SHRIMATI RENU CHAKRAVARTTY *in the Chair*]

इसलिए सब से ज्यादा ज़रूरत इस बात की है कि सरकार अपने अफ़सरान मुक़र्रर करें और जो आफ़िसर्स नियत हों वह उन लोगों को ऐप्रोच करें और उनका रजिस्ट्रेशन करें ।

तीसरी बात यह है कि जब तक आप देशी चिकित्सा पद्धतियों को प्राथमिकता और प्रोत्साहन नहीं देंगे और एलोपैथी को प्राएरटी देते रहेंगे, देश का स्वास्थ्य गिरता जायगा । जिन गांधी जी के नेतृत्व के नीचे सरकार चल रही है, उन गांधी जी ने यह कहा था कि अगर एलोपैथी की तमाम मैडीसंस समुद्र में बहा दी जायें, तो एलोपैथी की तमाम दवाइयों को समुद्र में बहाने से यह नुक़सान तो होगा कि मछलियां मर जायेंगी लेकिन मानवजाति बच जायगी । मनुष्य जाति की जान बच जायगी । यह खेद का विषय है कि आयुर्वेद और यूनानी को प्राथमिकता देने के बजाय अभी भी उस एलोपैथी सिस्टम को प्राथमिकता दी जा रही है जिसको कि जर्मनी में से निकाल कर फैंक दिया गया जिसको

कि अमरीका में लोगों ने अपने यहां निकाल दिया और नेचरोपैथी की ओर उन का ध्यान गया, जिन किताबों को उन्हों ने अपने यहां से निकाल कर बाहर फेंक दिया उन के ऊपर हम गिरते जा रहे हैं। आज अगर यह मसला हल नहीं होता है तो देश का स्वास्थ्य और ज्यादा गिरेगा। जो आज की साइंस है जिसे आप एलोपैथी साइंस कहते हैं, जोकि मैडीशनल साइंस है उस में बुनियादी ग़लतियां हैं। वह बुनियादी ग़लतियां तभी सुधारी जा सकेंगी जबकि आयुर्वेद को आगे ले जाया जाये, यूनानी को आगे ले जाया जाये। उस की बुनियादी ग़लती यह है कि वह मनुष्य की उस की अपनी एनर्जी को उठने नहीं देता। मान लीजिये एक शख्स बीमार होता है। अब उस बीमार आदमी को एक एलोपैथ डाक्टर बार बार यह कहता है कि तुम फ्रूट्स जूस लो, मिल्क लो अथवा ग्लूकोस लेते रहो। अब बीमारी की हालत में किसी भी खुराक का इस्तेमाल करना यह बुनियादी ग़लती है। बीमारी की हालत में दूध देना, फ्रूट जूस देना या ग्लूकोस देना, उस से बीमारी को ताक़त पहुंचेगी। उस से जो आप के अंदर रुग्णता है, जो अस्वस्थता है उस को ताक़त पहुंचेगी। संसार के सब से बड़े विज्ञान गीता में लिखा है और उस का हुक्म यह है :—

"विषया: विनिवर्त्तन्ते निराहारास्य देहिन: रसवर्जे रसोऽप्यस्य परं दुष्टवा निवर्त्तते।"

साइंस भी इस बात को मानती है और उस पर जो मौडर्न रिसर्च हुई है वह भी इस बात को मानती है :—

"दी मोर यू ईट, दी सूनर यू विल डाई।

आज मनुष्यों का जल्दी मरने का कारण यह है कि एलौपैथी के जरिए से लोगों को नाजायज तरीक़े से बीमारी की हालत में खाना दिया जाता है, दूध दिया जता है, फ्रूट जूस दिया जाता है और ग्लूकोस दिया जाता है। हमारे गुरू गोविंदसिंह महाराज ने इस बारे में क्या ही सुन्दर लिखा है :—

"अलग अहार सुलप सी निंद्रा खिमादया तन प्रीत सील सन्तोष सदा निबहावी तैंगयो त्रिगुण अतीत

सब से बड़ा असूल जो है वह कम खाने का है। इसलिए आयुर्वेद के जरिए से यह प्रचार हो सकता है कि आज जो खाद्यान्न की हालत है, खुराक की जो कमी है वह इसलिए भी है कि एक आदमी ८ आदमियों का हिस्सा खा जाता है और बाक़ी दुनिया ग़रीब रह जाती है। अगर यूनानी और आयुर्वेद को आप प्राथमिकता देते होते तो फुड का ऐसी सिचुऐशन न होती। आज जो फुड की स्केयरसिटी है यह ग़लत साइंस की वजह से क़ायम है।

मेरी आप से यह प्रार्थना है कि सब से पहले अगर आप चाहते हैं कि देश का चरित्र सुधरे, देश का स्वास्थ्य सुधरे तो आयुर्वेद को प्राथमिकता दी जाये। जो आयुर्वेद का क्लास प्रैक्टीशनर है, जिसको कि आप समझते हैं कि वह बिलकुल इनफीरियर है अथवा जूनियर है वह हक़ीकत में बड़े से बड़े एलोपैथ से भी ज्यादा जानता है। उस की साइंस गलत नहीं है, उस की साइंस ठीक है और जो ग़लत भित्ति के ऊपर सोचता है, ग़लत बुनियाद के ऊपर सोचता है वह कभी राष्ट्र को उन्नति पथ पर और आगे की ओर नहीं ले जा सकता है। इसलिए मेरी दरख्वास्त यह है कि इस में यह तीन साल की अवधि को बढ़ाया जाये। गवर्नमेंट इस चीज़ को अपने हाथ में ले। सरकार अपने अफ़सरान भेज कर उन का रजिस्ट्रेशन कराये और यह दस साल की प्रैक्टिस करने की बात के बजाय यह इजाज़त दी जाये कि जो पांच साल का प्रैक्टीशनर होगा उस को आप रजिस्ट्रेशन देंगे, बाक़ायदा उस को हक़ देंगे कि वह इलाज कर सके और प्रैक्टिस कर सके। इस निवेदन के साथ जो मैं ने चंद एक सुझाव दिये हैं मैं आपसे यह ज़रूर कहूंगा कि यह बुनियादी ग़लती है और जब तक आयुर्वेद के साथ सौतेली मां का जैसा व्यवहार होता रहेगा तब तक हमारे समाज का स्वास्थ्य नहीं

[श्री यशपाल सिंह]

सुधर सकता है । गुलामी का सब से बड़ा कारण जो है, दासता की सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ा लक्षण यह है :—

"परभाषा, परभाव, परऔषधि, पर परिधान, पराधीन जन की यही है पूरी पहचान ।"

गुलामी की पहचान यह है कि दूसरे की भाषा बोले, दूसरे की दवा खाये, दूसरे का कपड़ा पहने, और दूसरों के विचारों को लेकर जिंदा रहता है । इसलिए मेरी दरख्वास्त आप से यह है कि इस में आमूलचूल परिवर्त्तन किया जाये । किसी छोट मोट अमैंडमेंट से काम नहीं चलेगा । इसके लिए एक बुनियादी बिल लाया जाये । और इतना बुनियादी बिल लाया जाना चाहिए, जिस से कि आयुवद सारे भारतवर्ष में प्रधानता प्राप्त कर सके, हमारे जो करोड़ों आदमी आज अरबों रुपयों की दवाओं के नीचे दबे पड़े हैं, उन को राहत मिल सके और हमारा देश आज जो कंगाल होता जा रहा है, उस को दृष्टि में रखते हुए विलायत में रुपया भेजने के बजाये देश का रुपया देश में ही रहे ।

एक इन्सानी उसूल है कि "यस्य देशस्य यो जन्तु तज्जं तस्य औषधम्", अर्थात् जो जहां पैदा हुआ है, वहां की पैदा हुई औषधि ही उस के लिए फ़ायदामंद हो सकती है, दूसरी जगह की नहीं हो सकती है । मैं आज सफ़ाई के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जिन को हिमालय में पैदा हुई औषधियां अच्छा नहीं कर सकतीं, जिन को गंगा माता की गोदी में पैदा हुई भेषजें अच्छा नहीं कर सकतीं, जो विलायतों की दवाओं के सहारे ज़िन्दा हैं, मैं उन्हें राजनीतिज्ञ कह दूंगा, नेता कह दूंगा, दूरदर्शी कह दूंगा, पालिटीशन कह दूंगा, लेकिन मैं उन्हें देश-भक्त नहीं कह सकता । देश-भक्ति का मतलब यह है कि देश में जो चीज़ें पैदा हुई हैं, देश में जो औषधियां पैदा हुई हैं, मनुष्य उन से अपना निर्माण कर सके और जब तक भारतमाता के लिए हिमालय के लिए, गंगा माता के लिए यह श्रद्धा पैदा नहीं होगी कि उन में पैदा होने वाले खज़ाने इन्सान को हज़ारों साल तक ज़िन्दा रख सकते हैं, चांद की तरह रोशन रख सकते हैं, तब तक हमारा सिस्टम और डीके करता रहेगा ।

हम कहते हैं, "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" । इस लिए जन्मभूमि में पैदा होने वाली जो औषधियां हैं, उन को प्राथमिकता दी जाये । जो लोग यह समझते हैं कि पांच हजार मील दूर पैदा हुई औषधियां, वहां निर्माण की हुई भेषजें, उन्हें अच्छा कर सकती हैं, वे गुमराह हैं । उन को रास्ता दिखलाना चाहिए और महात्मा गांधी ने जो रास्ता दिखलाया था, उस का अनुसरण करना चाहिए । जब तक यह भावना नहीं होगी, देश-भक्ति नहीं आ सकती । मैं आज भी कहता हूं कि भारत-माता को प्रधानता दी जानी चाहिए ।

इस की है हवा बूए गुलिस्तान से बेहतर,
इस के हैं गदा ग़ैर के सुलतान से बेहतर ।

जब तक इस देश में पैदा होने वाली औषधियों को प्राथमिकता नहीं दी जायेगी, जब तक यह नहीं समझ लिया जायेगा कि आयुर्वेद का थर्ड क्लास का प्रैक्टीशनर भी अच्छे से अच्छे एलोपैथ से बढ़ कर इलाज कर सकता है, तब तक इस सिस्टम में सुधार नहीं हो सकता है ।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे तीन निवेदन मंत्री जी नोट कर लें और उन पर अमल करें मेरा पहला सुझाव यह है कि तीन साल की मियाद दी जाये । दूसरा सुझाव यह है कि सरकार इस बारे में अफसरान को मुकरर करे, जो कि उन लोगों तक पहुंच कर, उन को इत्तिला दे कर, उन को रजिस्टर करें और तीसरा सुझाव यह है कि जो लोग ऐलोपैथी में रजिस्टर हो रहे हैं उन की रजिस्ट्रेशन चा साल के लिए बन्द कर दी जाये और जो

करोड़ों रुपये विलायतों में जा रहे हैं, उन को रोक कर देश का रुपया देश में ही रखा जाये।

Dr. Sarojini Mahishi (Dharwar-North): Madam Chairman, the East Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners Amendment Bill is now before the House. The original Act, called the East Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners Act, came into force in the year 1949 and a preiod of two years was given to the practitioners to register themselves. In those cases where the practioners had got certain qualifications, they could register themselves under section 16 and in those cases where they had not got the necessary qualifications but had put in a practice of ten years prior to their application for registration, they could get themselves registered under section 16. Under section 34 of the same Act, a more liberal outlook was taken as regards practitioners of indigenous medicine and they were allowed to enlist themselves even though they had not got the necessary qualifications to get themselves registered. Therefore, there were actually two lists, one a list of qualified practitioners and another a list of those who, though had not got the necessary qualification were allowed to get themselves enlisted according to section **34**.

Now, if I may be permitted to quote the words of the hon. Deputy Minister when he made a speech in the Rajya Sabha at the time of the introduction of this particular Bill, there were something like 300 *vaids* and *hakkims* in Delhi who could not get themselves registered or enlisted due to certain circumstances, that was quite unfortunate and that a compassionate view has been taken. May I know the exceptional circumstances in which they could not get themselves registered, or could not get themselves enlisted, during the period of two years after the Act came into force? The Act was passed in 1949, this is the year 1963 and after a period of 13 or 14 years Government is coming forward with an amending Bill for extending the period for registration because a compassionate view has to be taken. I have no grudge against the practitioners of indigenous medicine; on the contrary, I do believe that they should be given greater scope and opportunity. But, at the same time, can anyone be allowed to take undue advantage and can anyone be allowed to violate the rules and regulations and the law? What is the use of our enactments if they cannot be properly enforced and if there cannot be any punishment and penalty in case of violation of a particular provision of the law? May I know how many such cases have been brought to book during this period where they were allowed to enlist or register themselves but in spite of that continued to practise without getting themselves enlisted or registered? What were the exceptional circumstances that they were so unfortunate that they could not get themselves registered or enlisted?

The number of quack medical practitioners in the rural as alsc in the urban area in some places is growing day by day and this will continue to thrive and the practice will also continue to increase as long as there is poverty, ignorance, illiteracy and superstition among our rural folk.

Shri Warior (Trichur) Diseases also.

Dr. Sarojini Mahishi: Certainly. Of course, the number of allopathic doctors is very small and I do not mean to say that the patient can get himself cured only by means of allopathy. Whatever may be the system of medicine, allopathy, homoeopathy, Unani, Ayurveda, Siddha or whatever it may be, provided the patient gets cured it is the best medicine. Ayurveda and Unani are indigenous systems of medicines. Their cost is very much less. Ayurvedic and Unani medicines are very much cheaper. No doubt all the medicines come from the herbal, the animal and the mineral worlds; but even then making use of the herbs that are there in India;

[Dr. Sarojini Mahishi]

there are a good number of practitioners and the greatest section also is being benefited by the practice of such people provided the practitioners are genuine practitioners and use their medicine in the interest of the patient. There was no such control, no sort of control rather, on the manufacture of drugs in the Ayurvedic and Unani systems and now, I think, the Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill is thinking about the control that they are going to impose upon the Ayurvedic and the Unani drugs. But, at the same time, I find that those Ayurvedic and Unani practitioners who manufacture or prepare drugs for the use of their patients are exempted from the purview of this particular control. It is but natural that it is taken for granted that the practitioners who prepare medicines for the use of their patients do prepare genuine medicines in order to gain the goodwill of the patient as also of the society at large. At the same time, it is necessary that certain control is exercised over these people.

Even in many of their pilot health scheme centres we find that there are no doctors in the rural areas. If at all there are a few, they are either undergraduates or, in some cases, unqualified people. Under these circumstances there is every scope for giving encouragement to qualified Ayurvedic doctors and also for making proper arrangements for training for such of the practitioners who may not be having proper qualifications. But, at the same time, those who might have got the knowledge of this practice from their fathers and forefathers in a traditional way must also be given proper encouragement and scope. Those practitioners who after 1949 did not get themselves registered or enlisted by paying a fee of Rs. 5 are now being given another opportunity. For example a person who started his practice in the year 1951 without the necessary qualifications has completed ten years' practice. His practice which was not then recognised by law because he did not get himself registered or enlisted is now being validated by this amending Bill. That means that even though for a period of ten years he has practised without the recognition of law or without getting himself registered or enlisted, he is now being encouraged under this particular Bill to carry on that practice. Under section 27 of the parent Act, the assumption of any false degree or title or certificate or falsely holding out that he is a paractitioner of these indigenous systems of medicine is considered as an offence, and penalty has been provided for that purpose. Under section 36 also, it has been mentioned that any person who practises in contravention of the provisions mentioned in section 35 whereby under Part II he is expected to get himself registered, is liable to punishment. But, please let me know what punishment is there for a person who does not get himself registered or enlisted even after this amending Bill comes into force but continues to practise. There is no provision here at all for any punishment for such a person. If you would permit, I would like to move an amendment to section 16 or section 34 to the effect that if a person does not get himself registered or enlisted even after this amending Bill, has been brought into force but continues to practise, then that person must be brought to book and there must be sufficient provision for punishing those quack practitioners who without getting themselves registered continue to practise. How will they get themselves registered when they knew that Government are going to validate the practice that they can put in even without getting themselves registered and enlisted? I am making this observation with all the good-will and the liberal outlook which should be there towards these practitioners of the indigenous systems of medicine whose services are quite essential in the country, because the number of doctors as compared to the number of patients in our country is relatively very small as compared with the

figures that are obtaining in the foreign countries. Anyway, we need not compare ourselves with the people in the other countries. These medical practitioners who are attaching themselves to these indigenous systems of medicine and who in their own way are earning their livelihood are doing a great service to our people. But I cannot understand one thing. The Deputy Minister of Health has been pleased to say, and it has also been stated in the Statement of Objects and Reasons that:

> "It has been reported that a number of *vaids* and *hakims* could not get themselves registered or enlisted within the prescribed period and they have not discontinued their practice....".

The reason that they have not discontinued their practice is not a ground for validating the practice which they were having without being recognised by law. Even though the country is badly in need of the services of qualified and experienced hands in this medical field, the fact that they have not discontinued their practice even though they could not get themselves registered is no argument now to validate the practice which they had without being recognised by law. Even though we are badly in need of the services of qualified and experienced hands in the medical field, yet, I would like to say let not every quack medical practitioner take advantage of this liberal and compassionate outlook of Government and pose or hold out that he is a medical practitioner and thus cheat the people. Of course, our people may be exploited at any time by such quack medical practitioners, as you know.

If you would permit, I wish to move an amendment to this particular section to the effect that even after the enforcement of this particular Bill, if anyone continues to practise without getting himself registered or enlisted, he should be punishable. As far as my knowledge goes, I do not think that it is covered by section 36 which only provides that it is an offence to assume any false degree or certificate or to contravene the provisions of section 35. Therefore, I would suggest that after the extension of the period for registration, if anyone continues practice without getting himself registered or enlisted, he should be liable for some punishment and some penalty, so that it will be deterrent to the other practitioners who do not discontinue their practice even after the enforcement of this particular amending Bill.

Shri Warior: I support this Bill, but there is a particular paragraph in the Statement of Objects and Reasons attached to this Bill, of which we should beware. That particular paragraph reads thus:

> "It has been reported that a number of *vaids* and *hakims* could not get themselves registered or enlisted within the prescribed period....".

—and the portion that, now comes is to be under-scored—

> ".... and they have not discontinued their practice as it is the only means of their livelihood."

So, it is only to keep up the livelihood of a few people that this Bill has been brought forward, and it is not because the services of these people are required for the public. It is only to keep them in employment or to give them a means of livelihood that this Bill has been brought forward. This attitude is not welcome. It is this attitude which has been responsible for the indigenous systems of medicine not flourishing or getting encouragement in our country.

Actually, the situation in our country is that everything is looked at from the angle of the allopathic department. For instance, even the Ministers do not come from the Ayurvedic *vaids*, but they are always medical men coming from the allopathic sections, and it is the men coming

[Dr. Sarojini Mahishi]

from the allopathic sections who are manning the departments connected with medicine. If an Ayurvedic physician had been put in charge of this, I think the attitude might have been quite different.

In our country, as has been pointed out by many Members already, our people do not have medical facilities and do not have proper treatment in time. Most of our people are living in the villages. There have been reports, and it has also been admitted in this House, that even the new medical graduates are not willing to go to the rural areas for the simple reason that the medical profession even though it is a humanitarian profession is still based on the lucrative income. The income that they are likely to get is the criterion which they adopt for selecting the place where they are to serve the people; it is not from considerations of human necessity or the people's demands that these people select the places for their practice. Hence, a large majority of the population living in the villages depends upon the *vaids*, most of whom are hereditary *vaids* and who are also very efficient.

I may also point out that this sort of restrictive legislation had been found necessary not only here but also in Western countries for one particular reason. The medical system in allopathy, I am told, is based more on poisonous things; most of the allopathic medicines are prepared with alcohol, not indigenous alcohol, but synthetic alcohol. But in no medicine in Ayurveda is alcohol used in that manner. At the same time, our experts mostly coming from the allopathic section say that the indigenously fermented alcohol is also as injurious as synthetic alcohol, when added to the medicine. That is the view taken by them. I do not know whether the view was taken by the Finance Ministry or by the Drugs Control Department. Anyway, the Finance Ministry took advantage of that and imposed a cess or excise duty on several medicines which do not contain even a drop of alcohol at all. Moreover, we have also found another thing from experience. I am not criticising the allopathic system at all. It is true that the allopathic system has got very many good points in it, and it has developed in certain branches of medical science to such an extent that it is welcome, and it must be introduced and exploited in this country also. But the difference between the indigenous systems of medicine, especially the Ayurvedic system, and the allopathic system lies in the fact that the danger to the human system is much more in certain branches of allopathic treatment than in Ayurvedic treatment. Unless and until proper encouragement is given for research work for finding out newer methods and modern methods and incorporating them in Ayurveda, there is no way of escaping from the fact that Ayurveda will have a very unnatural death, and not a natural death.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): God forbid.

Shri Warior: May God fobid that! From our own personal experience, we have found that in certain branches of medical science, the allopathic system has not reached even now that much stature which Ayurveda has reached. In the case of the *Materia Medica*, for example, in the case of the allopathic system, it is still based mainly on the climate, vegetation, production etc., in the Western countries only, and it has not yet come to the stature of the *Materia Medica* of Ayurveda. I can argue this case out in any place and with anybody.

Shri Hari Vishnu Kamath: The Chairman agrees with the hon. Member entirely.

Shri Warior: The Chairman may also agree. Anybody must agree in regard to this matter.

But the point is that there is so much of obscurantism which has already crept into the Ayurvedic system that all sorts of quacks and illite-

rate people also make use of it taking advantage of the very poor condition of our villagers and the great need for medical help which they have. That must be restricted. There is no arguing that point. At the same time, if in order to safeguard the interests of the people, restrictions are imposed and they are such as to almost entirely discourage the system, we will come to grief. Hence while there must be restrictions, they must be very lenient. I do not at all agree with the previous speaker that those who have not registered even after ten years should be penalised to such an extent that they must learn the lesson of their life. Not at all. Those people are very poor people; they are mostly uneducated in all the ways of modern life, especially laws and regulations passed by this august House. They are coming to their senses only belatedly. So some latitude must be given for enabling them to come up to the requirements in the modren society. If we are going to harass them all of a sudden, it is not only bad for the system but it will land us in some other difficulties also.

Even now, there are so many quacks in the countryside who resort to all sorts of clandestine methods and very illegitimate methods even, because conditions prevailing in the country are such. That is not to say that they should be encouraged, but if the harassment is such that they cannot exist and there is no encouragement from the other side, it will lead to bad results. So there must be a balancing of the restrictions imposed upon them.

Shri Hari Vishnu Kamath. There are not many quacks in Kerala, I believe.

Shri Warior: There may be, in Kerala also. But Kerala, I am proud to say, has also developed its indigenous system to a very great extent. But all the *vaids* are now feeling that the Government is rather very hard on them, especially the Finance Department and the Drug Control Department, because even ordinary medicines, *arishtas* and *asavas* used in our households just like asprin etc., are charged to excise duty. There is so much of harassment from the excise people. Even for an ounce of *dasamoolarishtam*, there must be a prescription by a registered *vaid;* then only it can be dispensed by the dispensary. Then hundreds of thousands of sheets of paper must be filled in for submitting returns to the Finance Department and the Drug Control Department. Naturally *vaids* do not want to do all these things. They have no paraphernalia for this, no equipment and no staff. So naturally they withdraw from the whole profession itself which means that people suffer. That is the whole problem.

So from the point of view of science as well as the demands of the people, this question must be properly handled, with more sympathy and consideration. I want to emphasise this. At least now Government should give another opportunity to these people to get themselves registered and properly serve the suffering people in our country.

श्री वे० शि० पाटिल (यवतमाल) : सभापति महोदय, पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम (दिल्ली संशोधन) बिल का.....

सभापति महोदय : १ बज कर ५ मिनट पर यह बहस हमें खत्म करनी पड़ेगी, इस लिये आप अपने भाषण में जो कुछ कहें, वह थोड़े में कहें ।

श्री वे० शि० पाटिल : यह जो संशोधन बिल है उसका उद्देश्य यह है कि जो ऐसे वैद्य या हकीम हैं, जिन्होंने प्रेस्क्राइब्ड टाइम में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उन को रजिस्ट्रेशन करने के लिये एक और मौका दिया जाय । जब से यह संशोधन लागू हो जायेगा उस तारीख से छ: महीने के अन्दर अपना रजिस्ट्रेशन कराने का मौका उन को दिया जा रहा है । इस लिये मैं इस बिल का स्वागत करता हूं ।

श्री यशपाल सिंह : सभापति महोदय, इस समय सदन में कोरम नहीं है।

Shri D. C. Sharma: (Gurdaspur): This is a very important Bill. The time must be extended.

Mr. Chairman: The bell may be rung. Now there is a quorum. The hon. Member may continue.

श्री दे० शि० पाटिल : इस कानून में जो वैद्य और हकीम रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं हैं, या जिनका नाम रजिस्टर नहीं किया गया है, उन के प्रैक्टिस करने की मनाही की गई है, इस लिये जो ऐसे वैद्य या हकीम हैं जिन्होंने दस साल तक प्रैक्टिस की हैं, उन को फिर से अपना नाम रजिस्टर कराने का मौका देना जरूरी है।

ऐसी आपत्ति उठाई गई है कि कोई भी वैद्य या हकीम अपनी दस साल की प्रैक्टिस बतला सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह कानून सन् १९४९ में पास हुआ था, लेकिन सन् १९४९ में लागू नहीं हुआ। अगर देखा जाय तो सही तौर से यह ऐक्ट सन् १९५६ में अमल में आया। उस के पहले के जो वैद्य थे जिन्होंने दस साल तक प्रैक्टिस की थी, उन के लिये दो साल की मुद्दत रखी गई थी कि वे दो सालों में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। लेकिन कई वैद्य ऐसे थे जो देहात में रहते थे। उन को इत्तला नहीं मिली और वह अपना नाम रजिस्टर नहीं करा पाये। उन के लिये इस से मौका दिया जा रहा है। ऐसी आपत्ति उठाई गई थी कि हो सकता है कि कोई सन् १९५१ से दस साल तक की अपनी प्रैक्टिस बतलाये। यानी अगर कल तक कोई अपनी प्रैक्टिस दस साल तक की बतला दे तो उस का नाम रजिस्टर्ड हो सके, ऐसी बात भी इस संशोधन विधेयक में नहीं है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती है इस में यह कहा गया है :

> "they have not discontinued their practice as it is the only means of their livelihood".

कानून में कहा गया है कि जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं है, ऐसा कोई वैद्य और हकीम प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। अगर नहीं कर सकता है तो फिर इन लोगों की प्रैक्टिस चल कैसे रही है। अगर इस के सम्बन्ध में कोई पीनल क्लाज है तो उस का उपयोग नहीं हुआ है। मेरा सुझाव यह है कि इस बारे में कोई पीनल क्लाज बनाना पड़ेगा कि यह मौका देने के बाद भी अगर कोई वैद्य या हकीम अपने नाम का रजिस्ट्रेशन न कराय और गलत तरीके से प्रैक्टिस करता रहे, तो उस को पेनैलिटी देनी होगी। इसलिये इस में एक पीनल क्लाज रखने की जरूरत है।

इस में यह भी बतलाया गया है कि वह दस साल से प्रैक्टिस करता हो। लेकिन इस की शर्त क्या है। इस का एग्जामिनेशन कौन लेगा कि कोई वैद्य या हकीम दस साल से प्रैक्टिस करता है या नहीं। इस की शर्त क्या रखी गई है? कानून में बतलाया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन करने वाली अथारिटीज हैं उन को सैटिसफाई कर दे। मेरा सुझाव यह है कि ऐसे आदमियों के लिये कोई रिफ्रेशर्स कोर्स या रिओरिएन्टेशन कोर्स होना चाहिये। नहीं तो कोई भी आदमी कह सकता है कि मै दस साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। वह इस तरह का सर्टिफिकेट ला कर रजिस्ट्रेशन करने वाली अथारिटीज को सैटिसफाई कर सकता है।

तो यह गलत रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिये। लोगों को गलत फायदा नहीं उठाने देना चाहिये। इसलिये इन लोगों के लिये एक एग्जामिनेशन की जरूरत है।

दूसरी बात यह है कि जो अर्जियां आती हैं वे कई कई साल तक दफ्तर में पेंडिग पड़ी रहती है, उनकी एनक्वायरी नहीं होती कि वे कहां प्रेक्टिस करते हैं, कौन सी दवा देते हैं। इस की सही जांच होनी चाहिये और उस जांच के बाद उनको रजिस्टर करना चाहिये।

13 hrs.

हमने देखा है कि कोई अर्जी देता है और एक सरटिफिकेट पेश कर के रजिस्टरिंग अथारिटी को सैटिसफाई कर देता है और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन जो लोग देहातों में प्रेक्टिस करते हैं, चाहे वे सही हकीमी और वैद्यक करते हों और सही औषधि देते हों, उनका नाम रजिस्टर नहीं हो पाता। तो इस बात की जांच होनी चाहिये कि कौन वास्तव में अच्छा वैद्य या हकीम है और उसको मदद दी जानी चाहिये।

मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि आयुर्वेदिक और यूनानी वालों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता। जो एलोपैथिक डाक्टर किसी को सरटिफिकेट देता है कि यह आदमी बीमार है तो कोर्ट में उसको माना जाता है, लेकिन आयर्वेदिक और यूनानी वालों को ऐसा सरटिफिकेट देने का अधिकार नहीं है, और अगर वे देते हैं तो उसको माना नहीं जाता। इस लिये मेरा सुझाव है कि इन लोगों के लिये एक रिफरेशर कोर्स रखा जाय और उसको पास करने के बाद इनको रजिस्टर किया जाये। इस के बारे में चोपड़ा कमीशन की रिपोर्ट में जो सिफारिश की गयी है उस पर ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इसमें रजिस्ट्रेशन के लिये ६ महीने का समय दिया गया है। चूंकि देहात में लोगों को कानून का पता नहीं चलता, इस लिये मेरा सुझाव है कि इसकी मायती देहातों में करायी जानी चाहिये कि ६ महीने के अन्दर वैद्यों और हकीमों को अपने नाम रजिस्टर करवा लेने चाहिये। नहीं तो हो सकता है कि वहां के लोगों को पता भी न चले और ६ महीने का समय पूरा हो जाये।

बस ये ही सुझाव मुझे देने थे।

Mr. Chairman: Shri Yadav. Only five minutes. I will call the Minister next.

Shri Sonavane (Pandharpur): Some time may be given to me, about five minutes.

Mr. Chairman: Is he moving for an extension of the time for the discussion?

Shri D. C. Sharma: I have moved for extension of time by half an hour.

Mr. Chairman: Is it the wish of the House?

Shri D. C. Sharma: Shri Raghunath Singh wants to speak, so many want to speak.

Mr. Chairman: Even with half an hour, it will not be possible to accommodate more than about two or three people. Anyway, if that is the wish of the House, we may continue till 1-30.

Shri D. C. Sharma: The Minister may be called at 1-35.

Mr. Chairman: That does not make it half an hour, it would make it more. I will call the Minister at 1-20.

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी): सभापति जी, यह जो मौजूदा आयुर्वेदिक और यूनानी वैद्यों और हकीमों के बारे में विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

वैद्यों, हकीमों और डाक्टरों की इस देश में कमी है। देश की जलवायु जैसी है उसको देखते हुए आयुर्वेदिक और यूनानी इलाज ज्यादा उपयुक्त है। इस लिये अगर इन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाय तो अच्छा ही है, और मैं तो चाहूंगा कि सरकार आयुर्वेदिक, यूनानी और ऐलोपैथी के इलाजों में कोई समन्वय स्थापित करें, और मैं समझता हूं कि यह तभी सम्भव हो सकता है जब डाक्टरी की शिक्षा भी भारतीय भाषाओं में दी जाये। अभी कठिनाई यह है कि एलोपैथी अंग्रेजी के द्वारा पढ़ाई जाती है। यदि

[श्री राम सेवक यादव]

यह पढाई देशी भाषाओं के माध्यम से हो तो हम जल्दी डाक्टर तैयार कर सकते हैं। अभी तो एक लड़के को अंग्रेजी पढ़ने में और मुंह मोड़ कर उसे बोलना सीखने में १८ से २१ साल तक लग जाते हैं और उसके बाद उसको दवा के बारे में पढ़ाया जाता है।

13.05 hrs.

[DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

मेरी समझ में नहीं आता कि दवा का किसी भाषा से क्या सम्बन्ध हो सकता है। अगर आप यह कर दें कि डाक्टरी की शिक्षा देशी भाषाओं के माध्यम से दी जाये तो हम यह शिक्षा कम समय में दे सकते हैं और इससे आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथी का समन्वय भी हो सकेगा और इस प्रकार की होड़, जो आज चल रही है, नहीं रहेगी कि आयुर्वेदिक या यूनानी अच्छा या ऐलोपैथिक इलाज अछा। अगर डाक्टरी देशी भाषा के माध्यम से पढ़ाई जाये तो यह सारी चीजें दूर हो सकती हैं और जो वैद्यों, डाक्टरों और हकीमों की कमी है वह भी दूर हो सकती है। चूंकि यह बिल इस दिशा में एक कदम है, इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं।

लेकिन इसके साथ साथ मैं मंत्रालय को इस बात के लिये कोसता भी हूं कि वह इतने दिनों तक सोता रहा। कानून सन् १९४९ में बना, लागू कब हुआ पता नहीं। अभी एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि वह सन् १९५६ में लागू हुआ। इस को भी ७ बरस हो गये। इस कानून के अन्तर्गत सब डाक्टरों, हकीमों और वैद्यो को रजिस्टर होना था। सात साल बाद यह पता चला कि बहुत से हकीमों और वैद्यों अभी भी वैसे हैं जो कि रजिस्टर नहीं हुए हैं और वह पहले की तरह अपना काम चला रहे हैं। उनको मौका देने के लिये यह कानून लाया जा रहा है। सरकार इतने समय तक इस पर सोती रही। अगर इस तरह से काम करेंगे तो यह कैसे ठीक से चलेगा। फिर भी यह अच्छा बिल है। चाहे देर से ही आया लेकिन इसका स्वागत होना चाहिये।

मुझे इस कानून के बारे में कुछ कहना है और वह यह कि अगर सन् १९४९ को लिया जाय जब यह कानून बना था, तो इसका मतलब यह होगा कि जो लोग सन् १९३८ या १९३९ में प्रेक्टिस करते होंगे और जो लगातार सन् १९४९ तक प्रेक्टिस करते रहे उनको रजिस्टर किया जायेगा। अगर इस कानून को उन्ही लोगों तक सीमित रखा गया तो उन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा जो कि सन् १९४९ से १९६३ तक प्रेक्टिस करते आये है और उनको भी दस साल से अधिक हो गया है। इसकी भाषा को जहां तक मैं समझता हूं उसके मुताबिक सन् १९५९ से बाद के लोगों को इसमें रजिस्टर नहीं किया जा सकेगा। अगर मेरी गलती हो तो मंत्री महोदय मुझे बतलायें कि जो वैद्य और हकीम सन् १९४९ से अब तक प्रेक्टिस करते रहे हैं उनको यह लागू होगा या नहीं और उनको रजिस्टर किया जायगा या नहीं। अगर उनको रजिस्टर किया जा सके तो बहुत ही सुन्दर होगा। मैं उसका स्वागत करूंगा। लेकिन अगर नए संशोधन का यह मतलब हो कि इसमें केवल उन्ही लोगों को लिया जा सकता है जो कि सन् १९४९ के कानून के समय अपना नाम रजिस्टर करवा सकते थे और जिन्होंने ऐसा नहीं किया, तो मेरा सुझाव है कि इसमें यह व्यवस्था भी कर दी जाय कि जो लोग सन् १९४९ के बाद से आज तक प्रेक्टिस करते हैं और जिनको दस साल से अधिक हो गए हैं वे भी इस कानून के अन्तर्गत अपना नाम रजिस्टर करवा सकें। मैं इसकी भाषा आपके सामने रखता हूं। वह इस प्रकार है:

"Provided that any such person, who has not been registered as a practitioner, may make within six months next after the com-

mencement of the East Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Delhi Amendment) Act, 1962, an application for such registration and shall, on proof to the satisfaction of the Registrar that he had been in regular practice as a practitioner for a period of not less than ten years immediately preceding the date on which he might have made an application for being registered as a practitioner under this Act and of his continued practice as such since then, be entitled to have his name entered in the regiser on payment of the prescribed fee".

यह जो इसका हिस्सा है :

"immediately preceding the date on which he might have made the application".

इसका जो अर्थ मैं समझ पाया हूं वह यह है कि यह केवल उन लोगों पर ही लागू होगा जिन्होंने सन् १९४९ के कानून के समय अपना नाम रजिस्टर नहीं करवाया था और जो लोग सन् १९४९ से अब तक प्रेक्टिस करते हैं और जो सन् १९४९ के कानून में नहीं आते उनको यह लागू नहीं होगा। त्यागी जी मुझे समझाने की कोशिश करें इसका क्या अर्थ है। अगर यह कानून बाद वाले लोगों पर लागू नहीं होता है, तो मेरा निवेदन है कि उनको भी इसमें शामिल करने की व्यवस्था की जाय, और ऐसा न हो कि सरकार फिर दस बरस बाद जागे और उनके लिये नया कानून लाये।

मुझे इतना ही निवेदन करना था।

Shri Sonavane: I want to put forth some suggestions in regard to this amending Bill.

I feel it is essential to recognise the knowledge coming from father to son in the Ayurvedic, Unani and Homoeopathic lines. Particularly in the rural areas, where doctors are not available, the practice of such people would be helpful to the poor, because their medicines also cost less. But I find the Bill is arguing in a circle. Ten years practice is necessary before registration. If one fails to get registration, he should be stopped from practice. This would mean that people at large would be deprived of whatever facilities or services that the man might be rendering in rural or other areas. Therefore, I suggest that if a man fails to get registration a further opportunity should be provided to such persons and he should not be debarred from applying for registration. These practitioners would be dealing with the lives of the people. Therefore a board may be set up to examine the quality and efficacy of his treatment so that if the board is satisfied he should be eligible; if it is found that his treatment is good and he is well versed in his profession registration should not be refused. If there is no such board we will be landing us in trouble; the health of the people would be jeopardised. On page 2 the provision says that if he proves to the satisfaction of the registrar that he having been in regular practice of ayurvedic or unani systems of medicine in this Union Territory on the date mentioned in the notification mentioned in sub-section (1)....This is about regular practice. But what about efficacy? Is he a quack? Is his worth recognised in medicine? That should be the test and not regular practice. A man may give some fake names of patients he cured; that is not sufficient for registration in my opinion. His worth should be tested by a board by oral examination and a written examination if necessary as the health of the nation would be in their hands especially illiterate and ignorant people would be at their mercy. Those who have not passed any examination from any colleges but whose experience has come from father to son may have their worth and they may be given opportunities to qualify and the doors should not be kept closed. With these words, I commend this Bill.

श्री श्रोंकार लाल बेरवा (कोटा) : सभापति महोदया, वैसे तो ग्रामतौर पर मैं इस बिल का स्वागत करता हूं लेकिन इसमें जो दस साल की प्रैक्टिस करने वालों को रजिस्टर करने की बात है तो उसके लिये मेरा कहना है कि इस बात की जांच के लिये ऐसे अफसरान सुपुर्द किये जायें जो कि भ्रष्टाचार से बिल्कुल रहित हों । अगर ऐसा न हुआ तो जैसे किसी ने चार साल तक प्रैक्टिस की, किसी ने ६ साल तक प्रैक्टिस की वह भी सम्बन्धित अधिकारियों को रिश्वत देकर १० साल का सर्टिफिकेट लेकर अपने को रजिस्टर करा लेंगे इस लिये इस बात को बहुत जरूरत है कि इस काम पर ऐसे अधिकारी नियुक्त किये जायें जो कि बिलकुल ईमानदार हों और वह बिलकुल निष्पक्षता से इस बात की जांच करें । अगर पूरे तरीके से उन्होंने जांच नहीं की तो उस में क्या होगा? उस तरह से एक साल की प्रेक्टिस वाला भी दस साल का झूठा सर्टिफिकेट हासिल कर लेगा क्योंकि जिसके पास पैसा है वह तो एक साल या छै महीने प्रैक्टिस करके भी सर्टिफिकेट ले सकता है लेकिन जो बेचारे जैनुएनली ७, ७ और ८, ८ साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वे दस साल की कैद के कारण रजिस्ट्रेशन से महरूम हो जायेंगे । इस बारे में जांच करना बड़ा आवश्यक हो जायेगा कि जिसने ८ साल प्रैक्टिस कर ली है उसको कौन नीचे से सर्टिफिकेट देगा कि यह पिछले आठ साल से प्रैक्टिस करता आ रहा है ? इस लिये उसकी जांच किसी ऐसे अधिकारी से करवाई जाये जिसके कि अन्दर जरा भी भ्रष्टाचार न हो वरना होगा यह कि दो दिन से दुकान खड़ी करने वाले भी पैसा देकर १० साल का सर्टिफिकेट हासिल कर लेंगे । इस लिये सब से ज्यादा भ्रष्टाचार की रोक होनी चाहिये । आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की कला है यह एलोपेथी की तरह मामूली पद्धति नहीं है कि अंग्रेजी दवायें दुकान पर आयीं और बेच दीं तो किसी के इंजेक्शन लगा दिया , आयुर्वेद पद्धति इस तरह से नहीं चलती है । इसमें सख्त जरूरत इस बात की है कि उनकी प्रैक्टिस का पूरा पूरा ध्यान रखा जाय कि उस ने १० साल तक प्रैक्टिस की है या नहीं ।

अभी डाक्टरों की कमी है इस लिये यह और भी जरूरी हो जाता है कि आयुर्वेदिक और यूनानी वालों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाय और उनको प्रैक्टिस करने दिया जाय । ६ महीने की जो अवधि आपने रखी है यह बहुत ज्यादा है । इसके लिये तीन ही महीने का टाइम रखा जाय और यह तीन महीने का जो नोटिस निकाला जाय यह खाली शहरों में ही नहीं बल्कि वां गांव में हिन्दी के अन्दर यह नोटिस छपवा कर हर एक गांव में चस्पा किये जायें । मैंने देखा है कि आजकल जितने भी यह नोटस वगैरह निकलते हैं यह सब अंग्रेजी में निकलते हैं । अब गांव के आदमी जाहिर है कि इतनी अंग्रेजी जानते नहीं हैं । गावों में जो पुराने वैद्य या हकीम हैं उनको अंग्रेजी का इतना ज्ञान नहीं होता । यह देशी दवाओं से काम लेते हैं इसलिये गावों के अन्दर नोटिस हिन्दी में निकाले जायें । हर एक गांव में ग्राम पंचायतों के द्वारा, सरपंच के द्वारा, न्याय पंचायत के द्वारा या चौकीदार के द्वारा इस तरह का ढिंढोरा पिटवाया जाय कि ६ महीने की मियाद दी गई है या तीन महीने की मियाद दी गई है तब वे बेचारे सार्टिफिकेट ले सकेंगे ।

मैं ने कई एक गांवों में सुना है कि रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्तें जो देते हैं तो साल साल और डेढ़ डेढ़ साल तक उन का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता । वह घर पर उसके इन्तजार में बैठे रहते हैं । शहर में चक्कर लगा कर लौट आते हैं । इसलिए आजकल जितना भ्रष्टाचार चल रहा है उस को कम किया जाये तभी जाकर ६ महीने या तीन महीने में उन का रजिस्ट्रेशन हो सकता है । इसलिए मैं सभापति महोदया, आप के द्वारा यह कहूंगा कि उन के द्वारा रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त देने के बाद ही कम से कम समय में उस को

डिस्पोज़ कर दिया जाय । ८ दिन के अन्दर अन्दर जांच कर दी जाय । इतना टाइम न लगने दिया जाय कि वह आउट ग्रोफ़ लिमिट हो जाय ।

यह दस साल की प्रैक्टिस की जो क़ैद रक्खी है तो इस बारे में ठीक तरीक़े से, सख़्ती से और ईमानदारी से जांच कराई जाय क्योंकि अंग्रेज़ी दवाएं देशी दवाओं से ही बनी हैं और जितना गड़बड़ घुटाला देशी दवाओं में हो सकता है उतना अंग्रेज़ी दवाओं में नहीं हो सकता है । इसलिए इस पर जरूर ख़याल किया जाय और इस का जो सर्टिफिकेट दिया जाय वह जांच कर के और सख़्त से सख़्त इम्तिहान लेकर दिया जाय और डाक्टरों के बराबर ही उन वैद्यों और हकीमों को मान्यता दी जाय । उनकी डिग्री बराबर समझी जाय । आज इमरजेंसी के अन्दर यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम देश में ज्यादा से ज्यादा तादाद में प्रशिक्षित वैद्य और हकीम तैयार करें । मेरा कहना यह है कि डाक्टरों के बराबर उन को भी डिग्री दी जाय ताकि वह आगे आकर अच्छा काम कर सकें ।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : सभानेत्री जी, किसी भी विधेयक को लाने का कोई खास मंतव्य होता है । यह विधेयक क्यों लाया गया ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त करें ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : पांच मिनट का समय तो बहुत कम रहेगा, बहरहाल मैं सात, आठ मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

यह विधेयक इतने लिमिटेड परपज़ के लिए लाया गया है कि जो लोग १९४९ के विधेयक के अनुसार, अपना नाम रजिस्टर नहीं करा सके हैं उन को ६ महीने का मौक़ा दिया गया है । मैं उम्मीद करता था कि माननीय मंत्री एक ऐसा बिल लायेंगे जो सारे देश को कवर करेगा केवल पूर्वी पंजाब को ही नहीं । कितने ही विधेयक पास हों, कितना भी टाइम बढ़ा दिया जाय, कुछ लोग तो ऐसे रह ही जायेंगे जिनका कि नाम रजिस्टर नहीं होगा । तो क्या फिर भी उन को रजिस्टर कराने के लिए टाइम दिया जायगा ? रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो या न हो, गांवों में ऐसे अनेकों वैद्य मिलेंगे, जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के भी प्रैक्टिस करते हैं । इस विधेयक का अर्थ क्या है ? क्या इस रजिस्ट्रेशन के बाद उन लोगों को प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं दी जायेगी, जिन का नाम रजिस्टर नहीं हुआ है ? और क्या रजिस्टर्ड लोगों को सर्टिफिकेट आदि देने की क्षमता और अधिकार मिल जायेंगे, जैसे कि ऐलोपैथी के डाक्टरों को मिले हुए हैं ? मैं ने गांवों में देखा है कि कई वैद्य लोग रजिस्टर्ड हैं, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उन के सर्टिफ़िकेट्स को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि किसी एम० बी० बी० एस० या अंग्रेज़ी डाक्टर या ऐलोपैथिक प्रैक्टीशनर का सर्टिफ़िकेट लाओ । इस रजिस्ट्रेशन का क्या अर्थ है ? इस से आयुर्वेद या वैद्यों में क्या सुधार होगा, यह समझ में नहीं आता ।

अगर गवर्नमेंट की तरफ़ से एक काम्प्रिहैंसिव सरवे किया जाये कि कितने वैद्य गांवों में प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन का रजिस्ट्रेशन हो, तब तो ठीक है, लेकिन केवल दरख़्वास्त मांगने से काम नहीं चलेगा । रोज रोज़ नये वैद्य होते जा रहे हैं । जैसा कि मुझ से पहले एक माननीय सदस्य ने कहा है, जो वैद्य सात, आठ या नौ वर्ष तक प्रैक्टिस कर चुके हैं, उन की रजिस्ट्रेशन का क्या होगा ? यह एक ऐसी पद्धति है, जो कि पिता से पुत्र तक और पुत्र से पौत्र तक आती है । बहुत से लोग घर में ही सीख कर वैद्य का काम करने लगते हैं । वे किसी स्कूल में पढ़ कर सर्टिफ़िकेट नहीं लाते हैं । उन के बारे में क्या व्यवस्था

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

होगी, इस सम्बन्ध में यह विधेयक चुप है । इस में तो केवल यही व्यवस्था है कि जो वैद्य प्रैक्टिस करते हैं, उन की रजिस्ट्रेशन कर दी जाये । इस से उन लोगों का क्या फ़ायदा होगा, यह समझ में नहीं आता । इस से उन को क्या अधिकार मिल जायगा ? अगर ऐसा होता कि जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करायेंगे, उन को प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं मिलेगी या प्रैक्टिस करने पर उन के खिलाफ़ केस चलाया जायगा, तब तो बात समझ में आ सकती थी । लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है । गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि ऐसे मामलों की जांच कर के उन लोगों के खिलाफ़ केस चलाये । इस का कारण यह है कि घर घर में ऐसे वैद्य होते हैं, जो घर में ही कुछ सीख लेते हैं और हड़-बहेड़ा ले कर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और वैद्य कहलाते हैं । मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था से आयुर्वेद का कोई सुधार होने के बजाये ग़लत लोग रजिस्टर्ड हो जायेंगे और वे खराबियां और भी बढ़ जायेंगी, जिन को ले कर ऐलोपैथी के लोग उस की बदनामी करते हैं ।

13.24 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद के प्रति सरकार का रुख इतना अच्छा नहीं है । इस का कारण यह है कि सरकारी लोगों और अधिकारियों आदि का विश्वास ऐलोपैथी में है, आयुर्वेदिक पद्धति में नहीं है । इस अवस्था में आयुर्वेद का सुधार कैसे हो ?

मैं तो यह चाहूंगा कि इस बिल को विदड्रा कर लिया जाये और सारे हिन्दुस्तान के लिए एक काम्प्रिहैंसिव बिल लाया जाये, ताकि इस सम्बन्ध में सारे हिन्दुस्तान का एक नक्शा हो । यह एक्ट ईस्ट पंजाब का है और दिल्ली के बारे में इस में एमेंडमेंट की जा रही है, लेकिन बिहार और यू० पी० में क्या होगा ?

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : यू० पी० में एक्ट है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : वह लोकल एक्ट है । आखिर सैंट्रल एक्ट बनाने का क्या मतलब है ? सैंट्रल एक्ट बनाने का मतलब यह है कि जो काम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिये नहीं हो सकता, जो उस की काम्पिटेंस में न हो, उस के लिए यहां पर ऐसा बिल लाया जाये, जो कि सारे हिन्दुस्तान के लिए हो, न कि किसी एक प्रान्त के लिए । हर एक बिल का कुछ न कुछ मन्तव्य होता है । इस बिल का मन्तव्य सिवाये इस के और क्या है कि कुछ लोग और रजिस्टर्ड हो जायें ? मंत्री महोदय कहते हैं कि चूंकि उन की जीविका का प्रश्न है, इसलिए उन का रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए । मैं उन से कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों को जीविका देने के लिए वह आयुर्वेद को खत्म न करें । ऐसे आंशिक विधेयक लाने से आयुर्वेद की बदनामी अधिक बढ़ती है और उस में कोई सुधार नहीं होता है । सरकार ने इस सम्बन्ध में दर्जनों कमेटियां बनाईं और जांच करवाई—पंडित कमेटी, चोपड़ा कमेटी, न जाने कौन कौन कमेटियां बनाई गई थीं । अच्छा होता कि उन कमेटीज़ के रीकमेंडेशन्ज़ को पढ़ कर और आयुर्वेद-शास्त्रियों की एक मीटिंग बुला कर उन के परामर्श से एक काम्प्रिहैंसिव बिल लाया जाता, जिस से आयुर्वेद का सुधार होता । इस प्रकार के बिलों से कुछ होने वाला नहीं है । दो तीन बरसों के बाद और दस बरस की प्रैक्टिस वाले प्रैक्टीशनर्ज़ हो जायेंगे, सरकार पर फिर ज़ोर पड़ेगा और फिर उस को इस अवधि को बढ़ाना पड़ेगा ।

Mr. Deputy-Speaker: Dr. D. S. Raju.

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली-करौल बाग़) : उपाध्यक्ष महोदय, . . .

Mr Deputy-Speaker: There is no time; we will have to finish this by 3.35 P.M.

श्री नवल प्रभाकर : यह दिल्ली का बिल है । इसलिए दिल्ली वालों को बोलने का अवसर मिलना चाहिए ।

Mr. Deputy-Speaker: No. This is the Ayurvedic and Unani Practitioners Bill. I have called the hon. Minister to reply.

Mr. Deputy Minister in the Ministry of Health (Dr. D. S. Raju): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank the hon. Members for the speeches they have made and the light they have thrown on this Bill. The Bill in question actually deals with an extension of time-limit given to the Ayurvedic and Unani practitioners, because according to the provisions of the Act of 1949—the East Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners Act—they could not register themselves within the prescribed time.

There were three sections under this Act. Section 16(1) provides for the practitioners or qualified dotcors of the Ayurvedic and Unani systems. There is no difficulty about them. They were all registered under section 16(1). Section 16(2) applies to doctors who were practising the Ayurvedic and Unani systems of medicine but who did not possess any qualifications. So concession was given to those doctors who were practising these systems of medicine for 10 years at the time of the application for registration and they were all given this concession for registration and their names were entered in the registered list under section 16(2). The third category of doctors also came into existence. These were Hakims and Vaids who unfortunately did not possess the qualifications; nor did they have ten years' experience. So, a concession was shown to them also and their names were listed in a separate list.

Time was given to them under Part III. and that time also expired. The time for the registration of doctors under section 16(2) expired by 1952, and Part III of the Act which was brought into force on 4th November, 1953 for those practitioners to be enlisted and registered also expired by 3rd November, 1954. Therefore, according to the process of law, all these persons are liable to be prosecuted. Some of the hon. Members have raised the question as to why they were not prosecuted. Dr. Sarojini Mahishi raised this question. But all these practitioners were very small middle-class people and probably they were earning a small amount of money and that was their only sustenance of living. If they had been prosecuted—and the law naturally would have taken its own course—it would have been very expensive for the Government also to prosecute them, since they were about 300 of them.

Shri D. N. Tiwary: What about the future?

Dr. D. S. Raju: I am coming to that. Probably therefore, the remedy would have been more costlier—that is, much worse—than the disease in this case. It would have meant unnecessary harassment. So, from a compassionate point of view, we wanted to give them some more extension of time, and that is the reason why six months more have been given to them. Some hon. Members asked why it is only for six months. The Bill was actually discussed in the Rajya Sabha and passed on the 4th December, 1962. So nearly one year has elapsed since then and during this time, a lot of publicity was given through the press, the radio and other things. So, they came to know about it. There were about 350 Vaids and Hakims in the list and they were anxious to register and enlist themselves, and they wanted this special concession. So, from this point of view, I think that it is reasonable and also desirable, from a compassionate point of view, to give this time-concession.

Actually one hon. Member—I think it was Dr Sarojini Mahishi—said that the punishment should be enhanced. An amendment has been brought for-

[Dr. D. S. Raju]

ward saying that the punishment is not adequate, but I may point out that in the East Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners Act itself, sections 27 and 35 provide for punishment for contravening the provisions of the Act. It is not necessary for me to read them. If they do not register themselves or enlist themselves, they are punishable with a fine to the extent of Rs. 200, under section 36. So, the provision is already there and it is not necessary to enhance the punishment or accept that amendment.

A point has been raised that there may be some practitioners who have completed only three or four years. What about them? Can they be given permission to register or enlist themselves? I would submit that if no time-limit is fixed, then there is no end to this process. This applies only to those people who missed the bus in the first chance and who could not comply with the provisions of that Act. This applies to them who could not register themselves under section 16(2) or under Part III. It does not apply to other people.

Shri Yashpal Singh was very enthusiastic about ayurveda and unani systems of medicine. All of us, every Indian, takes pride in these two great systems. Both my senior colleague and myself are doing our best to improve and advance our indigenous systems of medicine. We are doing every bit in our power to improve them. Actually he made a sort of drastic proposal that all the allopathic medicines should be drowned into the sea. I do not agree with that proposal. Great as we are and great as we were, we lost our freedom for so many reasons. Just as we lost our freedom, we lost the merit of our science and culture. He has quoted Bapu's statement. But Bapuji has made several other statements also. He said that we must keep our minds and hearts open to all the thoughts that come from all parts of the world. If I may quote some of the ancient sayings, "Let noble thoughts come to us from all sides". This is the famous saying of Rishis. We should not, therefore, keep our minds and hearts shut to the recent advances of science and modern system of medicine. Modern system of medicine is advancing rapidly all over the world. Modern science has been able to put man into space. It has produced rockets and weapons of destruction which can destroy the whole world. Modern medicine is completely integrated with modern science and we cannot ignore that. It is a part of our life. The world is revolving on science now. If we ignore this aspect, we may again go down and lose our freedom; we may not be able to survive as a nation.

Shri Yashpal Singh: What about the freedom of ayurveda?

Dr. D. S. Raju: Wherever there is truth, it can never be suppressed. There is a lot of truth in ayurveda and unani systems of medicine. Two thousand years ago, they prescribed gold for tuberculosis and still we are using gold for tuberculosis. *Susrit* and *Charak* prescribed so many remedies for blood pressure and so on.

We are trying to do our best for these two systems of medicine. With these words, I commend the Bill to the acceptance of the House.

Shri D. N. Tiwary: What will become to those who started in 1952? Will they be registered under this Act?

Dr. D. S. Raju: Already 350 names are there for the Indian Board of Medicine to scrutinize. They will be registered and enlisted. All the names are with them. They are anxious to get themselves registered and they are law-abiding citizens. They are only anxious to have the extension of time-limit.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill further to amend the East Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners Act, 1949, as in force in the Union territory of Delhi, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: We will take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2— (*Amendment of section* 16)

Amendment made:

Page 1, line 13,—

for "1962" *substitute* "1963". (3)

—(Dr. D. S. Raju)

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2, *as amended, was added to the Bill.*

Clause 3—(*Amendment of section* 34)

Amendment made:

Page 2, line 8,—

for "1962" *substitute* "1963". (4)

—(Dr. D. S. Raju)

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 3, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3, *as amended, was added to the Bill.*

Clause 4 *was added to the Bill.*

Clause 1—(*Short title and commencement*)

Amendment made:

Page 1, line 4,—

for "1962" *substitute* "1963". (2)

—(Dr. D. S. Raju)

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, *as amended, was added to the Bill.*

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1,—

for "Thirteenth" *substitute* "Fourteenth". (1)

—(Dr. D. S. Raju)

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

Dr. D. S. Raju: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed".

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

13.37 hrs.

INDUSTRIAL EMPLOYMENT (STANDING ORDERS) AMENDMENT BILL

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment and Planning (Shri C. R. Pattabhi